(वाद सं0.-4061/4/6/2020)

15.02.2021

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, श्री तनवीर खाँ, तत्कालीन ग्रामीण आवास सहायक, प्रखण्ड–कोइलवर, जिला भोजपुर, आरा के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना मे द्वितीय किस्त की राशि विमुक्त नहीं करने व लाभार्थियों से दस हजार रूपया रिश्वत लेने से संबंधित कोईलवर थाना कांड सं0–205/2018 दिनांक–23.03.2018 संस्थित किये जाने व उक्त आपराधिक मामले में न्यायालय से जमानत मिल जाने के बावजूद भी उसके द्वारा समर्पित योगदान को नियंत्री प्राधिकार द्वारा स्वीकृत नहीं किये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** द्वारा उप विकास आयुक्त, भोजपुर, आरा तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, कोईलवर के प्रतिवेदन को अनुलग्नित कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया। प्रतिवेदनानुसार **परिवादी, श्री तनवीर खाँ, को कड़ी चेतावनी देते हुए उसके योगदान को स्वीकार कर लिया गया है तथा वर्तमान में वह अपने पद पर कार्यरत है।**

अब जबकि परिवादी के शिकायत का समाधान हो चुका है तो ऐसी परिस्थिति मे **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** के प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में ना पाकर प्रस्तुत संचिका को राज्य आयोग के स्तर पर संचिकास्तर किया जाता है।

तद्नुसार, **जिला पदाधिकारी, भोजपुर, आरा** से प्राप्त प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए आज पारित आदेष की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)

सदस्य

निबंधक